न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	मु.न. 51/2018 स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामनिवास बनाम रूजोड वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24-8-18	गत पेशी दिनांक 17-8-18 को राजकीय अवकाश घोषित होने से पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री गोरधन लाल शर्मा का स्थानांतरण हो चुका है। इसलिये विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य को मध्यनजर रखते हुए श्री गोरधन लाल शर्मा पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा का स्थानांतरण हो जाने से विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा में विचाराधीन उनवानी प्रकरण रूजोडमल आदि बनाम रूडाराम आदि को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्टि लेख मण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 24-8-18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति0 जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official